प्रेस रिलीज

स्प्री योजना की अवधि 31 जनवरी 2026 तक विस्तारित हुई ।

नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही विशेष योजना SPREE 2025, जिसकी अवधि पूर्व में 1 जुलाई 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित थी, को अब विभिन्न नियोक्ता, संगठनों, निगम सदस्यों तथा राज्य सरकारों के अनुरोध पर ईएसआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा एक माह के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। यह योजना नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण का एक बार मिलने वाला विशेष अवसर प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत 10 या 10 से अधिक कर्मचारी रखने वाले नियोक्ता / संस्थान बिना पूर्व देयताओं तथा निरीक्षण की जबावदेही के पंजीकरण करा सकते हैं ।

बिहार क्षेत्र में ईएसआईसी के अधिकारियों/कर्मचारियों ने विज़िट के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान चिन्हित किए गए हैं जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948) के अंतर्गत व्याप्ति योग्य पाए गए हैं, किन्तु अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं । इन सभी नियोक्ताओं/संस्थानों के साथ लगातार संपर्क एवं पंजीकरण में मदद की जा रही है, ताकि उन्हें पूर्व की देयता, हर्जाना एवं दण्डात्मक कार्यवाही से बचने के लिए समय पर पंजीकरण कराया जा सके ।

ईएसआईसी बिहार के क्षेत्रीय निदेशक 'सीए. निरंजन कुमार' ने नियोक्ताओं, उनके संगठनों एवं संबंधित हितधारकों से यह अपील की है कि वे एक माह के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त अवधि का पूर्ण लाभ उठाते हुए अपने संस्थान एवं कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक ईएसआई योजना के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराएं। बिहार क्षेत्र के सभी कार्यालयों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे जागरूकता कार्यक्रम, बैठकें एवं अन्य माध्यमों के जरिए स्प्री की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रसारित करें तथा नियोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण में हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।